

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 881

दिनांक 21/07/2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधियों का उपयोग

881. श्री बृजभूषण शरण सिंह:  
श्री संगम लाल गुप्ता:  
श्री पी.पी. चौधरी:  
श्री प्रताप चंद्र षड्गुप्ता:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में विशेषकर गोंडा-बहराइच तथा प्रतापगढ़ और राजस्थान में विशेषकर पाली तथा जोधपुर जिलों के लिए उपयोग हुई निधियों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में योजना के सार्वभौमिक कवरेज हेतु कोई तिथि निर्धारित की है और इसके लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उक्त जिलों में पीएच विनियमित नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने मिशन के कार्यान्वयन हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सहयोग करने के लिए कोई योजना बनाई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति  
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): अगस्त 2019 से, भारत सरकार जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन राज्यों की भागीदारी से कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक उत्तर प्रदेश के गोंडा-बेहराइच और प्रतापगढ़ जिले और राजस्थान के पाली और जोधपुर जिले सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की जा सके।

जिले-वार निधि का आवंटन एवं रखरखाव इस विभाग के स्तर पर नहीं किया जाता है। तथापि, वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (18.07.2022 तक) में जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित केंद्रीय निधि, राज्य द्वारा आहरित निधि और सूचित उपयोग का ब्यौरा इस प्रकार है:

राज्य	वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आवंटन	राज्य द्वारा आहरित निधि	कुल उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
उत्तर प्रदेश	2019-20	58.33	1,206.28	1,513.14	1,571.47	639.32	380.10
	2020-21	932.16	2,570.94	1,295.47	2,227.63	1,761.06	886.94
	2021-22	466.56	10,870.50	5,435.25	5,901.81	2,930.07	3,525.40
	2022-23	2,971.7	12,662.05	एनडी	2,971.74	2,514.80	768.19
राजस्थान	2019-20	313.67	1,301.71	1,301.71	1,615.38	620.31	698.54
	2020-21	995.07	2,522.03	630.51	1,625.58	762.04	789.05
	2021-22	863.53	10,180.50	2,345.08	3,208.61	1,920.16	1,664.02
	2022-23	1,288.4	13,328.60	एनडी	1,288.46	439.36	467.57

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

(ग): जेजेएम के अंतर्गत, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, पीएच सहित विभिन्न जल गुणवत्ता मापदण्डों के लिए मानक रूप में आईएस:10500 अंगीकार किया जाना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेयजल स्रोतों के रासायनिक तथा भौतिक मानदंडों के लिए वर्ष में एक बार तथा जैविक मानदंडों के लिए वर्ष में दो बार जांच कराने की सलाह दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता हेतु जल नमूनों की जांच में समर्थ बनाने हेतु 2000 से ज्यादा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यचालन में हैं। जल नमूनों के पंजीकरण, परीक्षण परिणाम तथा उपचारात्मक कार्रवाई की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक गांव में आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, वीडब्ल्यूएससी सदस्यों, शिक्षकों आदि जैसे 5 व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं की पहचान करें और उन्हें ग्राम स्तर पर एफटीके/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने और पोर्टल पर इसकी सूचना देने के लिए प्रशिक्षित करें।

इसके अतिरिक्त, पीने योग्य पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आम जनता के लिए मामूली दरों पर जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को खोलने की सलाह दी गई है ताकि वे अपने जल नमूनों का परीक्षण करा सकें। साथ ही, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत अपने वार्षिक आवंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं।

(घ) और (ङ): पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है, राज्य ही पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और क्रियान्वयन करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, परियोजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए निजी भागीदारों को शामिल करती हैं।

\*\*\*\*\*